कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक / विधि / 2021 / 41 भोपाल, दिनांक 19/01/2021

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक (न्यायिक)
   सहकारी संस्थाएं, संभाग भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर
2. उप पंजीयक (न्यायिक)
   सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर

विषयः—न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश ।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र क्रमांक / विधि / 2017 / 452, दिनांक 26.07.2017.

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। जिसके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में सुनवाई करने के उपरांत प्रकरण का यथासंभव 03 माह की समयावधि में संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) द्वारा तथा 06 माह की समयावधि में उप पंजीयक (न्यायिक) द्वारा प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे । तद्नुसार संयुक्त पंजीयक (न्यायिक) को प्रतिमाह न्यूनतम 60 एवं उप पंजीयक (न्यायिक) को प्रतिमाह 40 प्रकरणों का निराकरण उपरांत जानकारी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित करने तथा आदेश की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित् करें तथा निम्न प्रारूप में लंबित प्रकरणों का धारावार जानकारी प्रत्येक माह लंबित समयावधि दर्शाते हुए प्रेषित करें । न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक माह की जाकर जानकारी प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी । अतःजानकारी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रेषित करें ।

विभागीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों की जानकारी माह ————

न्यायालय का नाम ——————

क.	अधिनियम की धारा	06 माह की समयावधि के प्रकरण	06 माह से 01 वर्ष तक की समयावधि के प्रकरण	01 वर्ष से 03 तक की समयावधि के प्रकरण	03 वर्ष से अधिक की समयावधि से लंबित
1	2	3	4	5	6
1	55(2)				
2	64				
3	58 (बी)				
4	78				
5	80 (क)				
6	84 (1)				

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/vidhi section/letter

पृ0क्रमांक / विधि / 2021 / 41 भोपाल, दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि–

1.प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2.अपर आयुक्त, सहकारिता मुख्यालय (आई.टी.) की ओर सूचनार्थ ।
3.संयुक्त / उप पंजीयक (न्यायिक) सहकारी संस्थाएं, म.प्र. की ओर पत्र में उल्लेखित अनुसार न्यायिक प्रकरणों के लक्ष्य निर्धारित कर निराकरण करने हेतु ।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल
rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/2021/ 42 भोपाल, दिनांक 19/01/2021

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, संभाग (समस्त)
2. उप पंजीयक (न्यायिक)
   सहकारी संस्थाएं, जिला (समस्त)

विषयः–न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश ।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2017/453, दिनांक 26.07.2017.

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। जिसके द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में सुनवाई करने के उपरांत प्रकरण का निराकरण संयुक्त पंजीयकों द्वारा यथासंभव 03 माह की समयावधि में उप/सहायक पंजीयकों द्वारा यथासंभव 06 माह की समयावधि में प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे । इसी प्रकार संयुक्त पंजीयक को प्रतिमाह न्यूनतम 35, संभागीय जिलों के उप पंजीयकों को प्रतिमाह न्यूनतम 20 अन्य जिलों के अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 25 प्रकरणों के निराकरण उपरांत जानकारी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित करने तथा आदेश की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग में आपके द्वारा प्रेषित जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है । अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित् करें तथा निम्न प्रारूप में लंबित प्रकरणों का धारावार जानकारी प्रत्येक माह लंबित समयावधि दर्शाते हुए प्रेषित करें । न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक माह की जाकर जानकारी प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी । अतः जानकारी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्यतः प्रेषित करें ।

न्यायालय ----- में लंबित प्रकरणों की जानकारी माह ----

क्र.	अधिनियम की धारा	06 माह की समयावधि के प्रकरण	06 माह से 01 वर्ष तक की समयावधि के प्रकरण	01 वर्ष से 03 तक की समयावधि के प्रकरण	03 वर्ष से अधिक की समयावधि से लंबित
1	2	3	4	5	6
1	55(2)				
2	64				
3	58 (बी)				
4	78				
5	80 (क)				
6	84 (1)				

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/vidhi section/letter

पृ0क्रमांक/विधि/2021/ 42 भोपाल, दिनांक 19/01/2021

प्रतिलिपि-

1.प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2.अपर आयुक्त, सहकारिता मुख्यालय (आई.टी.) की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, म.प्र.

desktop/vidhi section/letter